


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
32/021	212 RTA	इबड़ा	इबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
पूनमचंद	बनाम	रामकल्याण	
वकील :-	आदेश पत्रक	वकील :-	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------


27/21

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ज्य सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.08.2021 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

5/10/21

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्राची द्वारा प्रकरण में Not Press किया है। प्रकरण में आज कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर हॉट की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

Not Press
5/10/21
